संख्या:50/2016/547जेएल/22-3-16-100(20)/2009

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2016***

विषय: मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2016 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3144/सामा-1(2)/इला0परि0/2014, दिनांक 03-02-2016 में की गयी संस्तुति एवं मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय गाजीपुर के आदेश दिनांक 20.01.2016 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत के विचाराधीन बंदी त्रिभुवन सिंह पुत्र श्री रमापति सिंह को विचारण के समाप्त होने तक जिला कारागार, मीरजापुर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार यदि अन्य न्यायालयों में उसके विरूद्ध कोई बाद विचाराधीन वाद लम्बित हो तो उन मा0 विचारण न्यायालयों की भी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:50/2016/547जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, गाजीपुर।
2. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत/मीरजापुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in